"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनाँक 21 जून 2013—ज्येष्ठ 31, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2013

क्रमांक ई-01-01/2013/एक/2—श्री एल. एस. केन, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2000), संयुक्त सचिव, गृह विभाग एवं संचालक, संपदा, रायपुर, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, पंजीयक फर्म एवं संस्थायें को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जशपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (सी.जी. : 2004), कलेक्टर, बस्तर को अस्थाई रूप से अगले आदेश पर्यन्त उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छ.ग., रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2013

क्रमांक एफ 7-37/13/12.—अधिसूचना क्रमांक 443/ख.सा.वि./2002, दिनांक 18 फरवरी 2012 द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज रीति में राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(1) नीति में जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "परिकल्पना 2010" आया हो के स्थान पर, शब्द एवं अंक "परिकल्पना 2015" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) खण्ड 2.2 के शीर्षक "गुणवत्ता संवर्धन तथा खनिज विकास" के अंतर्गत उप शीर्षक "निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहन" के पश्चात् निम्नलिखित उप शीर्षक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"खनिज रियायतों की स्वीकृति एवं खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11 (5) के अंतर्गत प्राथमिकता— किसी भी कंपनी/कॉरपोरेशन/फर्म या निजी व्यक्ति का खनिज पर एकाधिकार न होने पाये, इसलिए इस पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रत्येक खनिज रियायत धारक की खनिज की "कैप्टिवयूज" हेतु आवश्यकता का आंकलन किये जाने के पश्चात् ही निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करते हुए खनिज रियायत स्वीकृति की जा सकेगी :—

(एक) प्रदेश में स्थापित खनिज पर आधारित उत्पादनरत उद्योगों को उनकी खनिज की आवश्यकता की सीमा तक खनिज रियायत की स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी

(दो) एक ही खनिज क्षेत्र पर खनिज आधारित उद्योगों तथा खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करते हुए आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से सक्षम आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी :—

(क) ऐसे आवेदक जिनके छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज आधारित उद्योग स्थापित है तथा जिन्हें कोई खनिज रियायत स्वीकृत नहीं है अथवा उनकी उद्योग की क्षमता के अनुरूप आवश्यक खनिज की मात्रा हेतु खनिज रियायत स्वीकृत नहीं है को उनकी कच्चे माल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रथम वरीयता दी जाएगी.

(ख) ऐसे आवेदक जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में ही खनिजों के मूल्य संवर्धन हेतु उद्योग की स्थापना के लिए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी उपक्रम के साथ एम.ओ.यू. (Memorundum of Understanding) हस्ताक्षरित किया हो, ऐसे आवेदकों को खनिज रियायत स्वीकृति में द्वितीय वरीयता दी जायेगी, इनमें से जो आवेदक प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना कर रहे हों उन्हें खनिज रियायत स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जायेगी.

(ग) एमओयू हस्ताक्षरित करने वाले/संयंत्र स्थापित करने वाले एक क्षेत्र में एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति में आवेदकों की प्राथमिकता तय करने के लिए मूल्य संवर्धन इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाने के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा नेटवर्थ,
(2) संयंत्र निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था,
(3) परियोजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था,
(4) प्रस्तावित संयंत्र हेतु आवश्यक जल का आवंटन करा लिया हो,
(5) प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय करने के लिए आदेश जारी किये गये हों तथा एडवांस राशि भुगतान कर दी हों,
(6) पर्यावरण संरक्षण मण्डल से संयंत्र की स्थापना की सम्मति प्राप्त की गई हों,
(7) प्रस्तावित संयंत्र के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हो गया हो,

(घ) आवेदित खनिज/रियायत क्षेत्र में खनन के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा :—

(1) आवेदित खनिज का आधुनिक तकनीकी से खनन करने हेतु आवेदक के पास उपलब्ध मशीन एवं उपकरण जिससे खनिज का अपव्यय कम से कम हों,

(2) पूर्वेक्षण/खनन कार्य संपादन हेतु नियोजित तकनीकी अमला,

(3) आवेदक यदि आवेदित क्षेत्र का भू-स्वामी है,

(4) आवेदित क्षेत्र, खदानों के बीच गैर उत्खनित क्षेत्र के उपयोग हेतु वैज्ञानिक पद्धति से खनन हेतु समीपस्थ खदान के साथ अन्य खदान स्वीकृत करना,

(5) खनन कार्य एवं मूल्य संवर्धन इकाई में कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले/रोजगार देने की वचनबद्धता देने वाले आवेदक."

(3) उप शीर्षक "सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहन" के पश्चात् निम्नलिखित उप शीर्षक जोड़े जाये, अर्थात् :—

खनिज प्रशासन का सुदृढ़ीकरण—

(क) सभी जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालनालय से जोड़ा जाकर विभिन्न जानकारियां/पीरियोडिकल रिटर्न्स ऑन-लाईन कराने की प्रक्रिया लागू की जाएगी.

(ख) बेहतर दक्षता और प्रशासन के लिए संचालनालय, क्षेत्रीय तथा जिला कार्यालयों को आधुनिकीकृत किया जावेगा.

खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन का निवारण एवं नियंत्रण—

(अ) खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मार्गों पर अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर तौल मशीन तथा जांच चौकियों की स्थापना की जाएगी.

(ब) खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिये विद्यमान नियमों को और अधिक कठोर एवं प्रभावशाली बनाया जायेगा.

(स) खनिजों के परिवहन के लिए राज्य में चरणबद्ध रीति में ई परमिट पद्धति को विकसित किया जायेगा.

(द) अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय रिजोल्यूशन उपग्रह डाटा को उपयोग में लाया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.